

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 (खण्ड संचिका) 117
प्रेषक,

कृ०, राँची/दिनांक-31/01/2025

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
झारखण्ड, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची में चल रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि रु. 143.81 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख एकासी हजार रुपये) का आवंटन।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-95 दिनांक-29.01.2025
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत All India coordinated research Project (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संचालित) की विभिन्न योजनाओं की राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि हेतु नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पत्रांक-5814 दि०-23.12.2024 के द्वारा प्राप्त केन्द्रांश (75 प्रतिशत) के आलोक में राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि के रूप में वर्ष 2024-25 में सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु. 100.84 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख रुपये) एवं सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रु. 42.97 लाख (बयालीस लाख संतानबे हजार रु०) अर्थात् कुल राशि रु. 143.81 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख एकासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उक्त वेतन मद में आवंटित राशि सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु. 100.84 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख रुपये) एवं सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रु. 42.97 लाख (बयालीस लाख संतानबे हजार रु०) की निकासी निम्न शीर्षों से की जायेगी :-

(राशि लाख रु० में)

मुख्यशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान, उप योजना शीर्ष-02-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान सामान्य (वेतन) विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 01-S-2415-80-796-04-02-06-46	100.84
---	--------

मुख्यशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान, उप योजनाशीर्ष-01-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) 01-S-2415-80-796-04-01-06-79	42.97
कुल योग	143.81

(एक करोड़ तैंतालीस लाख एकासी हजार रुपये)

4. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश में सन्निहित सभी शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची को उपलब्ध करायी गयी राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की अंकेक्षण शाखा को होगा।
6. आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय के पश्चात् तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी प्रति विस्तृत व्यय प्रतिवेदन के साथ विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. आवंटित राशि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, उप मुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष एवं उपशीर्ष एवं विपत्र कोड आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. आवंटित राशि का व्यय निर्धारित मद एवं उसके लिए स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/आवंटित राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,



(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022(खण्ड संचिका) 117

राँची, दिनांक : 31/01/2025

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022(खण्ड संचिका) 117

राँची, दिनांक : 31/01/2025

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022(खण्ड संचिका) 117

रांची, दिनांक : 31/01/2025

प्रतिलिपि- कुलपति/निदेशक प्रशासन/नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022(खण्ड संचिका) 117

रांची, दिनांक : 31/01/2025

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/योजना शाखा-3/लेखापाल/लेखा शाखा/रोकड़ प्रभारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022(खण्ड संचिका) 117

रांची, दिनांक : 31/01/2025

प्रतिलिपि- कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ईमेल आईडी-vc@bauranchi.org एवं नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के ईमेल आईडी-comptroller_bauranchi@rediffmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।